

### Crops Damaged due to Unseasonal Rains

\*28. CH. AFTAB AHMED (Nuh), M.L.A Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

- a) the total district wise and crop wise details of the area of agriculture land in which crops has been damaged due to unseasonal rain during the month of September/October, 2022 in the State;
- b) whether any special girdawari has been conducted by the Government or any compensation has been provided to the farmers whose crops have been damaged during the abovesaid period in State; if so, the district wise and crops wise details thereof; and
- c) the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem so that the farmers may cultivate the next crop togetherwith the details thereof?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

- a&b) Sir, In order to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September 2022, special girdawari was ordered to be conducted on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to enforcement of Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of reports.
- c) State Government made all efforts for dewatering of accumulated rain water by deploying diesel and electric pump sets. For the same, a total funds of Rs.3,34,14,585/- have also been released to the districts in the current financial year as an advance as well as on the demand basis. The table below is showing the funds sanctioned to the Deputy Commissioners on demand basis:-

Sr. No.	Name of the District	Sanctioned Amount (in Rs.)
1	Bhiwani	33,80,413/-
2	Fatehabad	91,29,192/-
3	Hisar	9,04,980
4	Jind	30,00,000/-
5	Rewari	5,00,000/-
6	Sonipat	70,00,000/-
7	Charki Dadri	20,00,000/-
8	Rohtak	20,00,000/-
Total		2,79,14,585

**Note for Pad \*28**

Haryana is an agrarian State. More than 51% of the population of the State is dependent on agriculture. The Government is conscious of its responsibility to safeguard the interest of the farmers. Whenever the farmers suffer any loss due to damage to crops, it becomes the prime duty of the Government to compensate them to some extent.

The Government provides immediate relief in terms of financial assistance to the victims of drought, earthquake, fire, flood, hailstorm, dust storm, electric sparking, lightening, cold wave/frost, heat wave, landslide, cloud burst and pest attack. As per Government of India norms, relief on account of damage to crops due to Drought, Earthquake, Flood, Hailstorm, Fire, Cold Wave/Frost, Landslide, Cloud Burst and Pest Attack is provided for the damage ranging from 33% to 100%; whereas the State Government norms of relief on account of damage to crops due to Floods, Fire, Electric Sparking, Heavy Rains, Hailstorm, Pest Attack and Dust storm are ranging between 25% to 100%. As such, whole expenditure for the damage between 25% to less than 33% is being met from the State Budget. Dust Storm, Electric Sparking, Lightening and Heat Wave are declared as Local Disaster by State Government vide its order dated 04.06.2019 and compensation is also being provided for the same. No relief is provided for the crop damage ranging less than 25%. The State Government compensation norms are higher as compared to Government of India norms. Now vide letter dated 28.1.2022, the compensation has been enhanced in case of crop damage due to natural calamities. The comparative table of State Government and Govt. of India norms are as under:-

Govt. of India Norms		Haryana State Norms	
Drought, earthquake, flood, fire, hailstorm, cold wave/frost, landslide, cloud burst and pest attack		Flood/standing water, electric sparking, fire, heavy rain, hailstorm, pest attack and dust storm	
Damage	Norms	Damage	Norms
Where crop loss is 33% and above	Rs. 8500/- per ha. i.e. Rs. 3441/- per acre in rainfed sown areas and Rs. 17000/- per ha. i.e. Rs. 6883/- per acre in assured irrigated areas, subject to minimum assistance not less than Rs. 1000 in rainfed areas or Rs. 2000 in assured irrigated areas and restricted to sown areas.	≥ 25 to < 33 %	<b>Rs. 9000/- per acre</b> ( Wheat, paddy, cotton and sugarcane) <b>Rs. 7000/- per acre</b> (Mustard and other Crops)
		≥ 33 to < 50 %	<b>Rs. 9000/- per acre</b> ( Wheat, paddy, cotton and sugarcane) <b>Rs. 7000/- per acre</b> (Mustard and other Crops)
		≥ 50 to < 75 %	<b>Rs. 12000/- per acre</b> ( Wheat, paddy, cotton and sugarcane ) <b>Rs. 9000/- per acre</b> (Mustard and other Crops)
		≥75 and above	<b>Rs. 15000/- per acre</b> ( Wheat, paddy, cotton and sugarcane ) <b>Rs. 12500/-per acre</b> (Mustard and other crops.
		<b>In case of drought, cold wave/frost, earthquake, landslide and cloud burst</b>	
		Where crop loss is 33% and above	Rs. 7000/- per acre in assured irrigated areas and Rs. 3500/- per acre in rainfed areas. Subject to minimum assistance not less than Rs. 500/- per shareholder and restricted to sown areas.

**Relief provided for Natural Calamities on account of crop damage during last 10 years.**

The funds sanctioned on account of damage to crops due to different natural calamities during the year 2012-2013 to 2022-23 (till date) are as under:-

(Amount in Crores )

Year	Drought	Flood/ Heavy rain	Hailstorm	Cold wave/ frost	Pest attack	Fire	Grand Total
2012-13	-	8.78	0.54	37.21		0.36	46.89
2013-14	11.98	82.85	85.02		-	0.76	180.61
2014-15	123.38	-	-		18.40	0.29	142.07
2015-16	1.08	21.96	1207.73		976.03	0.46	2207.26
2016 -17	17.85	0.11	25.38		28.45	0.17	71.96
2017-18	2.00	5.46	69.42	-	12.60	0.20	89.68
2018-19		164.74	16.97		-	2.83	184.54
2019-20	-	39.90	26.94		-	3.27	70.11
2020-21		15.58	115.18	-	-	1.18	131.94
2021-22		626.91	11.58	-	-	0.50	638.99
2022-23 Till date		54.18	16.71		269.77	1.97	342.63

**Crops Damaged due to Unseasonal Rains**

- a&b) Sir, In order to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September 2022, special girdawari was ordered to be conducted on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to enforcement of Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of reports.
- c) State Government made all efforts for dewatering of accumulated rain water by deploying diesel and electric pump sets. For the same, a total funds of Rs.3,34,14,585/- have also been released to the districts in the current financial year as an advance as well as on the demand basis. The table below is showing the funds sanctioned to the Deputy Commissioners on demand basis:-

Sr. No.	Name of the District	Sanctioned Amount (in Rs.)
1	Bhiwani	33,80,413/-
2	Fatehabad	91,29,192/-
3	Hisar	9,04,980
4	Jind	30,00,000/-
5	Rewari	5,00,000/-
6	Sonipat	70,00,000/-
7	Charki Dadri	20,00,000/-
8	Rohtak	20,00,000/-
Total		2,79,14,585

## बेमौसम बारिश के कारण क्षतिग्रस्त फसलें

\* 28 चौ. आफताब अहमद (नुहं), एम.एल.ए.:— क्या उप-मुख्यमंत्री कृपया बताएं कि:-

- क) राज्य में सितंबर/अक्टूबर, 2022 महीने के दौरान बेमौसम बारिश के कारण कृषि भूमि जिसमें फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, के कुल रकबे का जिलावार तथा फसलवार ब्यौरा क्या है;
- ख) क्या सरकार द्वारा कोई विशेष गिरदावरी की गई है या राज्य में उपरोक्त अवधि के दौरान जिन किसानों की फसलें खराब हुई हैं, उन्हें कोई मुआवजा प्रदान किया गया है; यदि हां तो, उसका जिलावार तथा फसलवार ब्यौरा क्या है; तथा
- ग) उपरोक्त समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए हैं ताकि किसान अगली फसल की जुताई कर सके तथा उसका ब्यौरा क्या है?

**श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा**

- क व ख) श्रीमान जी, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के बाद कई जगहों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुकसान के आंकलन हेतु सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022 और 09.11.2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।
- ग) वर्षा के कारण हुए जलभराव की निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल और बिजली के पम्प सेट लगाकर सभी प्रयास किये गये हैं। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में जिलों को अग्रिम राशि के साथ-साथ उनकी मांग के आधार पर कुल 3,34,14,585/- रुपये की राशि भी जारी की गई है। उपायुक्तों की मांग के आधार पर स्वीकृत राशि नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्वीकृत की गई राशि (रुपये में)
1	भिवानी	33,80,413/-
2	फतेहाबाद	91,29,192/-
3	हिसार	9,04,980/-
4	जीन्द	30,00,000/-
5	रेवाड़ी	5,00,000/-
6	सोनीपत	70,00,000/-
7	चरखी दादरी	20,00,000/-
8	रोहतक	20,00,000/-
कुल योग		2,79,14,585/-

## पैड के लिए नोट \* 28

हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य की 51 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेवारी के प्रति सदैव तत्पर है। जब कभी भी किसानों की फसलों का कोई नुकसान होता है तो सरकार का कर्तव्य है कि उनके नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो पाए।

सरकार द्वारा सूखा, भूकम्प, आग, बाढ़, ओलावृष्टि, धूल भरी आंधी, शार्ट सर्किट, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली, शीत लहर/पाला, लू, भूस्खलन, बादल फटना तथा कीट हमले इत्यादि से प्रभावित हुए किसानों को शीघ्र वित्तीय सहायता के रूप में राहत प्रदान की जाती है। भारत सरकार के मानदण्डों अनुसार सूखा, भूकम्प, बाढ़, ओलावृष्टि, आग, शीत लहर/पाला, भूस्खलन, बादल फटना और कीट हमले प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हुए नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाता है जबकि राज्य सरकार के राहत मानदण्डों अनुसार बाढ़, आग, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, भारी बारिश, ओलावृष्टि, कीट हमले और धूल भरी आंधी प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान की सीमा 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक है। इस प्रकार 25 प्रतिशत से 33 प्रतिशत से कम तक होने वाले खराबे के लिए सारा खर्चा राज्य सरकार के बजट से वहन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा नार्मज दिनांक 04-06-2019 द्वारा धूल भरी आंधी, बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग, बिजली तथा लू को स्थानीय आपदा घोषित किया गया है और इनके कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए मुआवजा भी प्रदान किया जा रहा है। 25 प्रतिशत से कम होने वाले फसलों के खराबे का मुआवजा प्रदान नहीं किया जाता। राज्य सरकार के मुआवजा नार्मज भारत सरकार के नार्मज के मुकाबले अधिक हैं। अब कार्यालय पत्र क्रमांक 28.01.2022 द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल क्षति के मामले में मुआवजे में वृद्धि की गई है। राज्य सरकार तथा भारत सरकार के नार्मज की तुलनात्मक तालिका निम्न अनुसार है:-

भारत सरकार के नार्मज		हरियाणा राज्य के नार्मज	
सूखा] भूकम्प] बाढ़] आग] ओलावृष्टि] शीत लहर/पाला] भूस्खलन] बादल फटना] चक्रवात] सुनामी] हिमस्खलन और कीट हमले		बाढ़/जलभराव] बिजली की चिंगारी के कारण लगी आग] आग] भारी बारिश] ओलावृष्टि] कीट हमले तथा धूल भरी आंधी	
खराबा	नार्मज	खराबा	नार्मज
जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो	8500/- रुपये प्रति हैक्टेयर जो कि 3441/-रुपये प्रति एकड़ बीजा हुआ असिंचित क्षेत्र और 17000/-रुपये प्रति हैक्टेयर जो कि 6883/- रुपये प्रति एकड़ बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र]	≥ 25 से > 33 तक	9000/-रुपये प्रति एकड़ (गेहूँ धान] कपास और गन्ना) 7000/-रुपये प्रति एकड़ (सरसों और अन्य फसलें)
	न्यूनतम सहायता कम से कम 1000/- रुपये असिंचित क्षेत्र और	≥ 33 से > 50 तक	9000/-रुपये प्रति एकड़ (गेहूँ धान] कपास और गन्ना) 7000/-रुपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें)
		≥ 50 से > 75 तक	12000/-रुपये प्रति एकड़ (गेहूँ धान] कपास और गन्ना) 9000/-रुपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य

2000/- रुपये सिंचित क्षेत्र और बोए गए क्षेत्र तक सीमित		फसलें)
	≥ 75 से अधिक	15000/-रूपये प्रति एकड़ (गेहूँ धान] कपास और गन्ना) 12500/-रूपये प्रति एकड़ ( सरसों और अन्य फसलें)
	सूखा] शीत लहर/पाला] भूकम्प] भूस्खलन] बादल फटना के केस में	
	खराबा	नार्मज
	जहां फसल खराबा 33 प्रतिशत या इससे अधिक हो	7000/- रूपये प्रति एकड़ बीजा हुआ सिंचित क्षेत्र और 3500/- रूपये प्रति एकड़ असिंचित क्षेत्र
	प्रत्येक हिस्सेदार को कम से कम 500/- रूपये की सहायता तथा बोये गए क्षेत्र की शर्तों अनुसार	

पिछले 10 वर्षों के दौरान फसल क्षति के कारण प्राकृतिक आपदाओं के लिए प्रदान की गई राहत

वर्ष	सूखा	बाढ/ भारी वर्षा	ओलावृष्टि	शीत लहर/ पाला	कीट हमले	आग	कुल योग
2012-13	-	8.79	0.54	37.21	-	0.36	46.89
2013-14	11.98	82.85	85.02	-	-	0.76	180.61
2014-15	123.38	-	-	-	18.40	0.29	142.07
2015-16	1.08	21.96	1207.73	-	976.03	0.46	2207.26
2016-17	17.85	0.11	25.38	-	28.45	0.17	71.96
2017-18	2.00	5.46	69.42	-	12.60	0.20	89.68
2018-19	-	164.74	16.97	-	-	2.83	184.54
2019-20	-	39.90	26.94	-	-	3.27	70.11
2020-21	-	15.58	115.18	-	-	1.18	131.54
2021-22	-	626.91	11.58	-	-	0.50	638.99
2022-23	-	54.18	16.71	-	269.77	1.97	342.63

बेमौसम बारिश के कारण क्षतिग्रस्त फसलें

क व ख) श्रीमान जी, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के बाद कई जगहों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुकसान के आंकलन हेतू सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022 और 09.11.2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) को विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

ग) वर्षा के कारण हुए जलभराव की निकासी के लिए राज्य सरकार द्वारा डीजल और बिजली के पम्प सेट लगाकर सभी प्रयास किये गये हैं। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में जिलों को अग्रिम राशि के साथ-साथ उनकी मांग के आधार पर कुल 3,34,14,585/- रुपये की राशि भी जारी की गई है। उपायुक्तों की मांग के आधार पर स्वीकृत राशि नीचे तालिका में दर्शाई गई है:-

क्रम संख्या	जिला का नाम	स्वीकृत की गई राशि (रुपये में)
1	भिवानी	33,80,413/-
2	फतेहाबाद	91,29,192/-
3	हिसार	9,04,980/-
4	जीन्द	30,00,000/-
5	रेवाड़ी	5,00,000/-
6	सोनीपत	70,00,000/-
7	चरखी दादरी	20,00,000/-
8	रोहतक	20,00,000/-
कुल योग		2,79,14,585/-